जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना धामपुर दिनॉक 22.05.2024

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 234/24 धारा 302/34 भादवि में वांछित अभियुक्त को सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.05.2024 को वादिनी श्रीमती रेनू पत्नी उपेन्द्र निवासी ग्राम मटोरा दुर्गा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.जयदीप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम शीमला थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर 2.पिन्टू 3. ऋषिपाल व एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा स्विफ्ट डिजायर गाडी (यूपी 23 एस 1557) से धामपुर आये थे तथा वादिनी के पिता पुखराज (65 वर्ष) की गाडी से कुचलकर हत्या कर दी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 234/24 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.05.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 234/24 धारा 302/34 भादवि में वांछित अभियुक्त पिन्टू चौहान पुत्र राकेश चौहान निवासी ग्राम शेरगढ थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट– दिनांक 21.05.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त जयदीप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम शीमला थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त गाडी सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त पिन्टू चौहान ने पूछताछ पर बताया कि मेरी अभियुक्त जयदीप से अच्छी जान पहचान व दोस्ती है। दिनांक 19.05.2024 को जयदीप मेरे पास आया और ग्राम मटोरा दर्गा के प्रधान अवधेश प्रताप सिंह से बात करने के बहाने अपने साथ ग्राम मटोरा दर्गा ले गया। अपनी पारीवारिक रंजिश के चलते दिनांक 19.05.2024 को हम दोनों ने मिलकर योजना बनायी कि पुखराज को गाडी से कुचलकर मार देगें जिससे लोग इसे सडक दुर्घटना समझेंगे। हम दोनों ने अथाई शेख रोड पर जब पुखराज खेत पर काम करने के पश्चात सडक पर आया तभी हमने पुखराज को गाडी से टक्कर मार दी जिससे वह गाडी के आगे गिर गया और पुखराज को गाडी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और गाड़ी अथाई शेख की तरफ भगाकर ले गये और नींदडू एवं प्रयास चौक होते हुए नहटौर से नूरपुर पहुॅचे तभी जयदीप ने मुझे चांदपुर तिराहे पर उतार दिया और स्वयं दिल्ली चला गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. पिन्टू चौहान पुत्र राकेश चौहान निवासी ग्राम शेरगढ थाना शिवालाकलां बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2.निरीक्षक अता मौहम्मद थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3.उ0नि0 पवन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
4.उ0नि0 साजिद अली थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
5.उ0नि0 राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
6.मुख्य आरक्षी 859 संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
7.मुख्य आरक्षी 195 लालमन थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चादंपुर **दिनांक – 22.05.2024**

"ऑपरेशन स्माइल" अभियान के अन्तर्गत थाना चांदपुर पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा गुमशुदा महिला व बच्चे को सकुशल बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.04.2024 को वादिनी द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि वादिनी की बहन वादिनी के बच्चे को लेकर घर से बिना बताये चली गयी है तथा काफी खोजबीन के बाद भी कोई पता नही चला। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अं0सं0 196/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। गुमशुदा महिला व बच्चे की शीघ्र एंव सकुशल बरामदगी हेतु टीमे गठित की गई।

कार्यवाही –

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आये की गुमशुदा बच्चा वादिनी का न होकर वादिनी की बहन जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, का है। वादिनी की बहन की शादी लगभग 03 वर्ष पूर्व राहत पुत्र ताहिर निवासी ईदगाह नई बस्ती कस्बा व थाना कांठ जनपद मुरादाबाद से हुई थी जो अपने पति के साथ न रहकर अपनी बहन के पास लगभग 03 माह से रह रही थी तथा उक्त बच्चे के साथ गुम हो गयी थी। गठित टीम द्वारा जनपद अमरोहा, हापुड, गाजियाबाद तथा मुरादाबाद मे तलाश किया गया तथा दिनांक 18.05.2024 को गुमशुदा वादिनी की बहन को सकुशल बरामद किया गया तथा 181 – वन स्टॅाप सेन्टर भेजा गया।

पूछताछ में वादिनी की बहन द्वारा बताया गया कि उसने बच्चे को धनौरा फाटक के पास भाटिया नर्सिग होम के सामने एक अज्ञात महिला को अपनी सहमति से दे दिया था। जिसने एक आईस्क्रीम बेचने वाले लडके के मोबाईल से फोन करके अपने रिश्तेदार को चांदपुर बुलाया था। तत्पश्चात गठित टीम द्वारा प्रतिदिन वादिनी की बहन द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार कस्बा चांदपुर मे आईसक्रीम बेचने वालो से उक्त सम्बंध मे जानकारी की गयी तथा कस्बा चांदपुर मे आईसक्रीम की सभी फैक्ट्रियों पर प्रतिदिन फेरीवालों से जानकारी कर दिनांक 21.05.2024 को एक आईसक्रीम वाले की पहचान करते हुए उक्त अज्ञात महिला द्वारा अपने रिश्तेदार को अपने फोन से फोन करना बताया। तदोपरान्त उक्त रिश्तेदार के पते की जानकारी कर उक्त पते पर जाकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए गुमशुदा बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार बैसला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.प्रशिक्षु म0उ0नि0 कु0 जया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.का0 1244 अनुज बाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5.सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर दिनॉक 22.05.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 431/24 धारा 379/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त को चोरी किये गये सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.05.2024 को वादी श्री शुभम सक्सैना पुत्र अनिल कुमार खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त नावेद पुत्र रिजवान निवासी मौ0 मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम बिजनौर से 02 लोहे की पाईप नुमा कोनी चोरी करते हुये पकड लिया तथा थाना कोतवाली शहर पुलिस को सुपुर्द किया गया। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 431/24 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.05.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 431/24 धारा 379/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त नावेद पुत्र रिजवान निवासी मौ0 मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी किये गये 02 लोहे की पाईप नुमा कोनी सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.नावेद पुत्र रिजवान निवासी मौ0 मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1. 02 लोहे की पाईप नुमा कोनी

अभियुक्त व बरामद माल को कब्जे में लेने वाली पुलिस टीम–

1–म0हे0का0 841 विजेता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2–क0ऑ0 शिवम आर्य थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3–म0का0 1357 चंचल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हीमपुर दीपा **दिनांक- 22.05.2024**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 69/2024 धारा 308/323/504 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.05.2024 को वादी श्री लखपत पुत्र स्वरुप सिंह निवासी ग्राम धीमरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तों 1. रनजीत पुत्र प्रकाश 2. मनजीत पुत्र प्रकाश निवासीगण ग्राम धीमरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 3. अरुण पुत्र परिसद निवासी ग्राम धीमरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई के साथ गाली-गलौच करते हुये लाठी-डन्डों से मारपीट की गयी, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया। तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 69/2024 धारा 308/323/504 भादवि बनाम रनजीत, मनजीत व अरुण उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.05.2024 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 69/2024 धारा 308/323/504 भादवि में वांछित अभियुक्त 1. रनजीत पुत्र प्रकाश 2. मनजीत पुत्र प्रकाश निवासीगण ग्राम धीमरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 3. अरुण पुत्र परिसद निवासी ग्राम धीमरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. रनजीत पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम धीमरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2. मनजीत पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम धीमरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
3. अरुण पुत्र परिसद निवासी ग्राम धीमरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 रणवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 546 राहुलदीप थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
3. हे0का0 668 अमित कुमार वर्मा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
4. का0 1518 सुमित कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात दिनांक – 22.05.2024

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 256/23 धारा 363/366/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.09.2023 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त अर्जुन पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम पैंदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर अपने परिजनो के सहयोग से वादिनी की पुत्री को बहला – फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा वादिनी द्वारा प्रतिवादीगणों से अपनी पुत्री के सम्बन्ध में जानकारी करने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी की पुत्री को जान से मार देने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 256/23 धारा 363/506 भादवि बनाम अर्जुन आदि कुल 08 नफर पंजीकृत किया गया। दिनांक 15.05.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 366/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.05.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अर्जुन पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम पेंदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अर्जुन पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम पैंदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री इन्देश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 665 अंकुर मान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नांगल **दिनांक 22.05.2024**

थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 101/24 धारा 323/504/506 भादवि व धारा 3/25(1-b)a शस्त्र अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.05.2024 को वादिनी श्रीमती ललिता पत्नी पवन सिंह निवासी ग्राम पुण्डरी खुर्द थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- फैशल 2- फरमान 3- लवि 4- राजकुमार निवासीगण ग्राम खुडाहेडी थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने वादिनी के लडके के साथ गाली गलौच करते हुये मारपीट की तथा तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गयी । इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 101/24 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.05.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा पर मु0अ0सं0 101/24 धारा 323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त राजकुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम खुडाहेडी थाना मंडावर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में धारा 3/25(1-b)a शस्त्र अधिनियम की बढोतरी की गई । शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजकुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम खुडाहेडी थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण –

एक अवैध तमंचा 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 योगेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

2-मुख्य आरक्षी 549 विकास कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

3-आरक्षी 2570 रितेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर ।